

हिन्दी पत्रकारिता: समाज का प्रतिबिम्ब एवं साहित्य संवाहिका

डॉ. श्रीमती. के. चंद्रा

हिन्दी आचार्य, एस टी एस एन सरकारी कालेज कदिरी । आंध्र प्रदेश, भारत

सारांश

अनेकानेक भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा की भी सर्वांगीण प्रगति-उन्नति हो रही है। लेखकों एवं प्रकाशकों, विविधवर्गी लेख आदि सभी क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी हुई है। हिंदी लेखन की परिधि एवं व्यापकता में अपार वृद्धि हुई है। हिंदी का जो रूप आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा, और संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है वह खड़ीबोली से विकसित हुई है। वस्तुतः हिंदी शब्द खड़ीबोली के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। हिंदी पत्रकारिता की विशेषताओं में समाचार लेखन जो विभिन्न विषयों से जुड़कर लिखा जाता है, जो उसकी भाषा का स्थापित स्वरूप है। इसी तरह अन्य विशेषताएं, रिपोर्टिंग, प्रेस सम्मेलन, निविदा यानि टेंडर, साक्षात्कार एवं परिचर्चा, विविध-विषयक समीक्षा, विज्ञापन आदि की भाषा शैली का भी स्थापित स्वरूप है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे पद्य साहित्य में कविता, गीत आदि एवं गद्य साहित्य में कथा, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रिपोर्ताज, डायरी, जीवानी आदि पत्रकारिता के माध्यम से ही हिन्दी के विकास में योगदान मिला है। आज पत्रकारिता संप्रेषण का सामाजिक माध्यम बन चुकी है। पत्रकारिता एक ओर समाज के प्रत्येक स्पंदन का माप है, तो दूसरी ओर विकृतियों का प्रस्तोता आदर्श और सुधार का सहज उपचार एवं मानवीय संवेदना का स्रोत भी है। पत्रकारिता समाज में लोगों का प्राणतत्व है जो समयानुसार उनमें नई उमंग जगाता रहता है। पत्र – पत्रिकाओं के माध्यम से अहिंदी क्षेत्रों के पत्रकारों और साहित्यकारों ने भी अपना दायित्व अच्छे से निभाया है। तत्पश्चात के दशकों में व्याप्त वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कारण हिन्दी पत्रकारिता में उसके आकलन की क्षमता में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई। आज भी हिन्दी पत्रकारिता तमाम परिवर्तनों के बावजूद जन-चेतना के यथार्थ से विमुख नहीं हुई है।

मूल शब्द: पत्रकारिता, सर्वांगीण, संप्रेषण, आदर्श और सुधार

भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उद्देश्य केवल हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार करना था। और साथ ही हिन्दी साहित्य को भी समवृद्ध करना था। हिन्दी भाषा के व्यापक प्रचार – प्रसार के कारण अनेक हिन्दी पत्र – पत्रिकाओं का जन्म हुआ। हिन्दी पत्रकारिता में हिन्दी की स्थिति में निखार लाने और विषय-वस्तु में सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः हिन्दी पत्र –पत्रिकाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ी। एक तो यह कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं को स्वर देना। और दूसरा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को विकसित करना। अर्थात् खड़ीबोली हिन्दी को देश की जनभाषा बनाने के लिए तैयार करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी पत्रकारिता विविध विषयों से जुड़कर हिन्दी के विकास में समग्र योगदान देती रही है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हिन्दी पत्रकारिता शैक्षणिक, खेल, श्रम रोजगार, महिला जगत, फिल्म, बाल जगत, कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ज्योतिष आदि पत्रकारिता के स्वरूप उभरकर आये।

पत्रकारिता समाज के विचारों का प्रतिबिम्ब है और साहित्य की संवाहिका भी है। यह साहित्य एवं समाज को अपना विशेष स्थान बनाकर निर्माण करती है। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता अस्त्र और शस्त्र के रूप में रही। अंग्रेज शासकों के प्रति विरोध करते हुए भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान करी। आज पत्रकारिता क्षेत्र इतना विस्तार हो गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों की घटनाओं का विश्लेषण, विवेचन और विवरण समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। इस वैज्ञानिक युग में पत्रकारिता घटनाओं के माध्यम जनता को सचेत भी करती है और साथ ही मनोरंजन भी। इस तरह आज पत्रकारिता संप्रेषण का सामाजिक माध्यम बन चुका है। पत्रकारिता मानव मूल्यों को स्थापित करती है और विघटित मूल्यों की स्थिति में नए मूल्यों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाती है। समाज में पत्रकारिता लोगों का प्राणतत्व है, जो समय पर उनमें नई उमंग जगाता रहता है। स्वतंत्रता पूर्व जनता में जागरूकता

लाने का कार्य पत्रकारिता ने भी किया था। किसी भी विषय पर जनमत तैयार करने में पत्र-पत्रिकाओं बहुत योगदान रहा है।

हिन्दी पत्रकारिता में दिन-ब-दिन विकास होता जा रहा है। आज भारत के कोने कोने से अनेक हिन्दी पत्रिकाएँ निकल रहीं हैं जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रिमासिक आदि। यदि शिक्षितों की संख्या नहीं बढ़ती तो हिन्दी से लगाव न होता और पाठकों या जनता को इन चीजों में रुचि नहीं होती तो कदापि पत्रकारिता की स्थिति आज हिमालय कि चोटी पर नजर नहीं आती। आज के इस आधुनिक युग में हिन्दी पत्रकारिता पता कई सवाल उठाने वाले समीक्षक व आलोचकों की कमी नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों से अगर आज की परिस्थितियों की तुलना करें तो स्वाभाविक रूप से काफी परिवर्तन समाज में, पाठकों के विचारों में परिवर्तन के रूप में पाते हैं। कुछेक है तो यह भी मानना है कि अब पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गई है। हिन्दी-विकास के पूरे परिदृश्य पर अगर निगाह डाली जाय तो एक तथ्य उभर कर सामने आता है कि देश में राष्ट्रीय-चेतना का प्रसार एवं उसके साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी कि स्वीकृति तथा उसके विस्तारित करने का संकल्प लगभग एकसाथ हुआ। हिन्दी राष्ट्रीय आंदोलन कि भाषा बनकर उभरी थी। हिन्दी भाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सन्दर्भ और सरोकारों को विकसित करने के लिए भी महसूस की गई। भारत देश में राष्ट्रीयता, बलिदान एवं आत्मविश्वास का सागर उमड़ना, पत्रकारिता की देन है।

जनसंपर्क के माध्यम आज की तरह विकसित नहीं थे, केवल छापा खानों का ही विकास हो चुका था। इसके अतिरिक्त और कोई संचार-माध्यम न था। प्रिंट मिडिया को इस दृष्टि से दोहरी भूमिका निभानी पड़ी थी जैसे जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं को स्वर देना और साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को विकसित करना। इसकी शुरुआत 'उदन्त-मारतण्ड' रूप में हुई जो हिन्दी का पहला समाचार-पत्र माना जाता है। सन 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीयता के उस जवार ने हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की ओर

हिंदी के पक्षधरों को उन्मुख किया और शताब्दी के अंत होते-होते हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ अपनी राष्ट्रीय उदभावना के साथ परिदृश्य पर छा सी गई। इन पत्रिकाओं ने हिंदी साहित्य और भाषा दोनों के विकास में समानान्तर योगदान किया। अनूदित कथा साहित्य आज लोकप्रिय है जिनको व्यापक जन – समाज तक पहुँचाने का सबसे सफल साधन पत्रिकाएँ रही हैं। धर्मयुग और साप्ताहिक हिन्दुस्तान बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर पत्रिकाएँ थी, जो अब बन्द हो गई है।

पत्र-पत्रिकाएँ काल की धड़कन होती हैं। भारतेन्दु युग, द्विवेदी युगीन, गांधी युगीन, छायावादी युगीन, स्वातंत्रयोत्तर युगीन पत्रकारिता के रूप में हर युग उस समय की परिस्थिति के अनुसार उस समय की आवश्यकता को लेकर पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व की 'हिंदी पत्रकारिता' को समृद्ध उन्नत व बहुमुखी बनाने में भारतेन्दु हरिश्चंद्र का अद्वितीय योगदान है।

वास्तव में पत्र की व्यापारिकता एवं व्यावसायिकता की स्थिति के आधार पर ही पत्रकार अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। पत्र – पत्रिकाएँ प्रजातन्त्र पद्धति की सुव्यवस्था के लिए चौथा स्तम्भ होता है। वास्तव में यह पत्रकारिता समाज हित का कार्य करती है और वर्तमान सभ्यता का मापदंड भी है।

आज इस पत्रकारिता का सिद्धांत-सूत्र राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। अतः इसके विविध आयामों जैसे आर्थिक विकास का आधुनिकीकरण, नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात, शैक्षिक विकास, महिला कल्याण, राजनीतिक सजगता, और मनोरंजन के क्षेत्रों के विस्तार, मानवधिकार की रक्षा के लिए चेतना, आदि इसके विविध आयामों में परिगणित है। वस्तुतः स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता देश सेवा का एकमात्र साधन थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता अपने राष्ट्रीय स्वरूप के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख हुई। हिंदी पत्रकारिता युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर परिवर्तित और संशोधित कर रही है।

पत्रकारिता समाज का अंग ही नहीं, बल्कि वह समाज की आत्मा भी है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। फिर भी आजादी से पहले और आजादी के बाद इसमें काफी परिवर्तन आये। आजादी से पहले स्वतंत्रता की लड़ाई का जोश था और आजादी के बाद विकास का सपना था। इस लरकार एक कशमकश से गुजरकर, आज हिंदी पत्रकारिता इंद्राधनुष हो गई है। हिंदी पत्रकारिता का मूल आधार वैचारिकता है। इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे भी भारतीय लोकतंत्र का यह चौथा खम्भा है। जब हर ओर से निराशा हाथ लगती है तो जनमानस अखबार और समाचार पत्रों पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि उन पाठकों को पता है कि अगर टॉप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। हिंदी पत्रकारिता कोई ऐसी विकल्प पत्रकारिता नहीं जो अंग्रेजी कि जगह लेने के लिए जन्मी है। वह भारतीय राष्ट्रीयता और स्वाधीनता कि आवाज रही है। समाचार पत्रों कि भाषा सरल, सुबोध एवं व्याकरण निष्ट होती है। इससे जनता आसानी से ग्रहण भी करेगी और साथ ही शुद्ध भाषा का ज्ञान भी अर्जित करती है। अतः पत्रकारिता को जन-राशि का संचित कोष भी कहा जाता है। आज के हिन्दी पर-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा उनके प्रचार को देखकर उनके उज्ज्वल भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है।

हिंदी अखबारों ने ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन किये हैं। हिंदी पत्रकारिता पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आयी है। लाखों पाठकों से लगातार संपर्क स्थापित करने के लिए लोगों की बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। हिंदी पत्रकारिता बहुत से दबाव सहने के बाद ही आज यह अपने उत्कर्ष पर आयी है। पत्रकारिता का व्यवसाय जिस हद है, उस हद तक समाज के साथ समझौता कर, समाज के मूल्यों को

अपनाकर ही उनका व्यवसायिक दोहन करती है। अब हिंदी एवं निजीकरण की बात करें तो सभी इस बात के साक्षी हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस बात पर सर्वे किया तो यह निष्कर्ष निकला कि, यदि हम लोगों को अपना माल ज्यादातर लोगों तक पहुँचाना है तो वहीं की भाषा में उत्पादों की जानकारी देनी होगी। यही कारण है कि विदेशी कंपनियों ने आज जहाँ प्रचार सामग्री को हिंदी में छापवाई है, वहीं वे अपने उत्पादों की जानकारी भी हिंदी में ही दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज टीवी के सारे चैनल हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जो बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हिंदी के नाम से नफरत करती थी, वे अपने विज्ञापन हिंदी में दें रहीं हैं। बीबीसी ने तो अपना वैज्ञानिक कार्यक्रम डिस्कवरी तक को हिंदी में प्रसारित कर रहीं हैं, तो मेरे ख्याल से हिंदी का भविष्य बिलकुल उज्ज्वल है, तो हिंदी से जुड़े लोगों का भी है। हिंदी जो आम आदमी की भाषा है, अनेक झंझवातों के दौर से गुजरते हुए आज एक समर्थ भाषा के रूप में है। इस भाषा के सामने चुनौतियाँ तब भी थी और आज भी हैं। लेकिन आंदोलनों के गर्भ से जन्मी हिंदी तमाम विरोधों का दलन करना भी जानती है। पत्रकारिता पर आक्षेप लगाने से पहले उसके योगदान को नहीं भूलना चाहिए।

उपसंहार

मेरे ख्याल से आज भी हिन्दी पत्रकारिता न केवल संप्रेषण और जनसंचार का प्रभावशाली एवं सरल माध्यम है बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक-सांस्कृतिक सजगता और मानवीय समवेदनाओं का परिचायक भी है। ये विकास के नए-नए साधनों को प्रकाश में लाएँ एवं आम आदमी की भहश में प्रस्तुत करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. समाचारपत्र और पत्रकारिता – डॉ. शिवगोपाल मिश्र
2. हिन्दी पत्रकारिता के संदर्भ में – डॉ. पी. आर. घनाते
3. पत्रकारिता और समाज – डॉ. सुरेश कुमार
4. भारतीय पत्रकारिता – डॉ. बी. बी. जोशी
5. समाज में पत्रकारिता की भूमिका – डॉ. के. एम. शेरिफ़